कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

संख्याः 07-327 /दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2018–19

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव
उ0प्र0शासन,
आबकारी विभाग,
बापू भवन, लखनऊ।

दिनांक : इलाहाबाद : फरवरी 07,2018

विषय :–**वर्ष 2018–19 के लिये आबकारी की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन में हैसियत प्रमाण पत्र के प्रयोग के संबंध में।**

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–07/2018/ई–2/तेरह–2018–46/2017 दिनांक 25–01–2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–7.5, 7.9 तथा 7.14 के अन्तर्गत आबकारी की फुटकर दुकानों के आवंटन हेतु आनलाइन आवेदन किये जाने के समय हैसियत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की अनिवार्यता निर्धारित की गयी है। इसी विषय पर समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या–38339–413/दस–लाइसेंस–367/आबकारी नीति/2018–19 दिनांक 03.02.2018 के प्रस्तर–9 में उल्लिखित है कि –

"यदि किसी अनुज्ञापी द्वारा अपना हैसियत प्रमाणपत्र दुकान आवंटन के फलस्वरूप किसी जनपद में मूलरूप में जमा किया गया है तथा वह आवश्यक शोधन क्षमता से शेष धनराशि के समतुल्य क्षमता का प्रयोग किसी अन्य जनपद में करना चाहता है, तो उसके द्वारा सम्बन्धित जनपद (जहॉ मूलप्रति जमा हो) के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसमें प्रयुक्त शोधन क्षमता तथा अवशेष शोधन क्षमता का विवरण दिया गया हो, प्रयुक्त किया जा सकता है। ऐसे प्रमाणपत्र के साथ हैसियत प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति अन्य जनपद में मूलप्रति के स्थान पर मान्य होगी।"

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के सभी जनपदों में एक ही दिन ई–लाटरी कराये जाने के कारण कतिपय जनपदों से ऐसी पृच्छा की जा रही है कि जनपद में आवंटित दुकान/दुकानों हेतु आवेदक द्वारा प्रयोग की गई हैसियत प्रमाण पत्र की क्षमता को अन्य जनपदों में भी दुकानों के आवंटन होने की दशा में पुनः उपयोग किया जाये अथवा नहीं ?

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।